FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जिला कलक्टर, बाड़मेर — बाड़मेर

अज अदालत अपीलार्थी–चेलाराम मोची पुत्र पोलाराम **मुकाम** उत्तरदाता– उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

बनाम

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम **नं.** 07/ **सन्** 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2022	अपीलार्थी चेलाराम मोची पुत्र पोलाराम निवासी इन्द्रा कॉलोनी पूरबीया मोची जोगमाया मंदिर एवं रामदेव मंदिर के पास, प्रतापनगर जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 28.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 002939 दिनांक 04.10.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से मयाद के बिन्दु पर जवाब हेतु अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी न तो निर्धारित सुनवाई तिथि को स्वयं उपस्थित हुआ तथा न ही अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया गया है। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर बाड़मेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:36 IST
Reason: SelfAttested